न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 12/2019

वादीः—

1. लक्ष्मण पुत्र श्री स्वर्गीय पुनमा जाति घॉची निवासी ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. डाया पुत्र पुनमा
2. सोनीया पुत्र पुनमा जातियान घॉची निवासीगण ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली जिला पाली (राज.)

उपस्थितिः—

1. श्री मनोहरदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक वादी
2. श्री रामलाल भाटी, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः— दिनांक 31 /10/2019

1. इस वाद में दिनांक 22—08—2007 को प्राथमिक डिक्री इस अमर की सादिर की गई कि सरहद मौजा दयालपुरा मे स्थित खसरा नम्बर 732/102 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम भूमि का वादी व प्रतिवादी को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर बंटवाडा प्रस्ताव आगामी सुनवाई तारीख को तहसीलदार पाली प्रस्तुत करे।

2. तहसीलदार, पाली ने उनके पत्रांक/राजस्व/2007/2069 दिनांक 19—08—2008 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया। जिसे दिनांक 24.09.2008 को शामिल मिसल किया गया।

3. दिनांक 11.02.2009 को वकील वादी एवं वादी को बार बार अवाजे लगवाई गई। परन्तु वादी व उसके वकील अदालत हाजा मे उपस्थित नहीं हुए। इस कारण वाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरवी वद मय अधिवक्ता के खारिज किया तथा डिक्री पर्चा जारी किया गया।

4. माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली मे अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर सहायक (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 512/2018 लक्ष्मण बनाम डायाराम मे पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया।

जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 512/2018 लक्ष्मण बनाम डायाराम मे पारित निर्णय दिनांक 12.06.2018 को अपास्त किया किया गया। जिसे स्वाभाविक परिणाम स्वरूप सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2002 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2009 को भी अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देश के साथ इस न्यायालय मे प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण मे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

5. माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के आदेशानुसार पुनः प्रकरण को दर्ज किया जाकर समस्त पक्षकारान की तलबी की गई।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक वादी ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री की पालना बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स तहसीलदार पाली द्वारा आ चुकी है। अदम हाजरी मे दावा खारिज हुआ था क्योकि वकील साहब दिनांक 11.02.2009 को उपस्थित नहीं हुये थे और हमारे खिलाफ न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही नहीं की गयी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री को चेलेंज नहीं किया तथा प्राथमिक डिक्री की मियाद निकल चुकी है। अप्रार्थीगण लगा की प्राथमिक डिक्री फाईनल हो चकी थी तो इन्होंने 88 का दावा लाये। तथा निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री को अंतिम रूप दे।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि प्राथमिक डिक्री जारी होने के पश्चात् पालना रिपोर्ट आती है। प्राथमिक डिक्री रूल्स 18/21 के अनुरूप नही बनी है। जब पालना कराने गये तो देखा कि मौके पर जमीन कम है तहसीलदार पाली की रिपोर्ट सही नहीं है।

8. अतः बाद सुनने बहस प्राथमिक डिक्री बहस के बाद के बाद ही जारी की हुयी है जिसके अनुसार ही पालना रिपोर्ट आयी है तथा प्राथमिक डिक्री की पालना पर आज तक कोई आपत्ति भी नहीं आयी है। जिस कारण से दुबारा प्राथमिक डिक्री जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।

9. इसी संदर्भ मे अंतिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिकी का भाग बनाया जाकर सरहद मौजा दयालपुरा में स्थित खसरा नंबर 732/102 क्षेत्रफल 14.04 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान
1.	लक्ष्मण पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	732/102	4.14	बा0प्र0	2.35
2.	डाया पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	883/102	4.15	बा0प्र0	2.37
3.	सोनीपा पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	884/102	4.15	बा0प्र0	2.37
	योगः–	3	12.44		7.09

तहसीलदार, पाली उपरोक्त बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम करवा कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें। अंतिम डिकी परमा मुर्तिब हो। इस निर्णय, अंतिम डिक्री एवं नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, पाली को माफिक डिक्री पालना करने हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर,
बइजलास– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

मुकद्दमा संख्या– राजस्व वाद संख्या 54 सन् 2013 अंतर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

वादीः–

1. लक्ष्मण पुत्र श्री स्वर्गीय पुनमा जाति घोंची निवासी ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. डाया पुत्र पुनमा
2. सोनीया पुत्र पुनमा जातियान घॉची निवासीगण ग्राम दयालपुरा तहसील पाली जिला पाली (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार, पाली जिला पाली (राज.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मनोहर दास वैष्णव विद्वान अभिभाषक वादी बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी रामलाल भाटी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी इस आशय की जारी की जाती है कि तहसीलदार, पाली द्वारा प्रस्ताव के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को इस अंतिम डिकी का भाग बनाया जाकर सरहद मौजा दयालपुरा में स्थित खसरा नंबर 732/102 क्षैत्रफल 14.04 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का पक्षकारों के बीच बंटवाड़ा किया जाकर पृथक–2 खसरा नंबर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान
1.	लक्ष्मण पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	732/102	4.14	बा0प्र0	2.35
2.	डाया पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	883/102	4.15	बा0प्र0	2.37
3.	सोनीपा पुत्र पूनमा कौम घांची सा0 देह खातेदार	884/102	4.15	बा0प्र0	2.37
	योगः–	3	12.44		7.09

तहसीलदार, पाली उपरोक्त बंटवाड़ा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम करवा कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य......खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक ......शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 10 सन् 2019 को जारी की गई।

दस्तखत............
ओहदा सहायक कलेक्टर पाली

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–

Scanned by CamScanner

मुतफरिक	–	–	–		–	–
मीजान				मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner